सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 100/2018

बउनवान

गुड्डी बाई आयु 40 वर्ष पत्नि प्रहलाद कुमार जाति तेली निवासी गोरधनपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

1. चितरंजना आयु 38 वर्ष पत्नि राजेन्द्र कुमार जाति तेली निवासी गोरधनपुरा तह. छीपाबडौद जिला बारॉ
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारॉ

(रेस्पोडेन्ट)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबडौद के तस्दीकी इन्तकाल नंबर 1675 दि. 09.06.2018 वाके ग्राम गोरधनपुरा तह. छीपाबडौद अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री जीतेन्द्र नागर अभिभाषक **(अपीलांट)**
2– श्री महेश प्रकाश गौत्तम अभिभाषक **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 28.6.2019

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद के तस्दीकी इन्तकाल नम्बर 1675 दिनांक 08.06.2018 वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील छीपाबडौद से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्ट इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 17.07.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल इंतकाल तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित रहा है। रेस्पोडेन्ट क्रम 2 पेरोकार सरकार उपस्थित रहे है। प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अपीलांट के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस अपील के तथ्यो को दोहराते हुये कहा गया कि वाके ग्राम गोरधपुरा तहसील छीपाबडौद में खाता संख्या 66 से खसरा नम्बर 623 रकबा 2.02 हेक्टर व खसरा नम्बर 624 रकबा 2.03 हेक्टर कुल दो किता रकबा 4.054 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजी का बटवारा करवाने के लिये रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा एक वाद न्यायालय, उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद में धारा 53, 188 आर.टी.ए. का प्रस्तुत किया गया था, जिसमें दिनांक 25.05.2018 को राजस्व शिविर केम्प गोरधनपुरा में निर्णय फरमाया गया था। जिसकी अनुपालना में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर इन्तकाल नं0 1675 दिनांक 09.06.2018 खुलवाया है। उक्त इन्तकाल नामान्तरण सं0 1675 से विवादित खसरा नं0 623 व 624

में से रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने मिलीभगत करके खसरा नं0 624 रकबा 2.03 हेक्टर को अपने नाम दर्ज करवाया है, जबकि उक्त दोनो खसरा नम्बरान में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का बराबर–बराबर हक व हिस्सा है। इस कारण उक्त दोनो खसरा नम्बरान की भूमियों में आधा आधा हिस्सा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम दर्ज करना चाहिये था पर ऐसा न करके अपीलांट के साथ भारी अन्याय किया है। उक्त आराजी खसरा नं0 624 रकबा 2.03 हेक्टर में से कुछ हिस्सा नहर के लिये आवाप्त हुआ है, जिसकी मुआवजा राशि सम्पूर्ण हडपने के लिए रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने मिलीभगत करके उक्त इंतकाल खुलवाया है। उक्त कारण से इंतकाल नम्बर 1675 निरस्त होने योग्य हैं

इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष मे तस्दीक किया गया इन्तकाल नम्बर 1675 दिनांक 09.06.2018 वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील छीपाबडौद नियमानुसार विधी अनुरूप तस्दीक किया गया है। उक्त विवादित आराजी के बटवारे के लिए रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने उप जिला कलक्टर, छीपाबडौद के न्यायालय में धारा 53, 188 आर.टी.ए. के तहत एक वाद भी दायर किया हुआ था, जिसमें अपीलांट द्वारा लोक अदालत राजस्व शिविर केम्प गोरधनपुरा में राजीनामा किया गया। उक्त राजीनामें के आधार पर ही इंतकाल खोला गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। अतः अपीलांट द्वारा इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी उस पर मनन किया, पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छीपाबडौद द्वारा इन्तकाल नम्बर 1675 दिनांक 09.06.2018 वाके ग्राम गोरधनपुरा तहसील छीपाबडौद तस्दीक किया गया है। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त इन्तकाल लोक अदालत राजस्व शिविर केम्प गोरधनपुरा में राजीनामा के आधार पर खोला गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 17 के तहत एस्टोपल का सिद्धांत लागू होता है जिसमें जिन बिन्दूओं पर पक्षकारान में सहमति अभिलिखित पूर्व में हो चुकी है, उन बिन्दूओं पर अपील अनुमत नही है। प्रकरण में पूर्व में राजीनामा होने के कारण इस न्यायालय में चाराजोही की जानी उचित नही है। उक्त इंतकाल मे हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है।

अतः अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक इस न्यायालय मे प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारा